# **HRAGE AN ASUA** The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1618]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2014/श्रावण 23, 1936No. 1618]NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2014/SHRAVANA 23, 1936

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

का.आ. 2067(अ).—भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 873(अ), तारीख 4 मार्च, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सं. 744, तारीख 21 मार्च, 2014 के तहत प्रकाशित की गई थी, की सारणी में कॉलम 3 में क्रम सं. 282 के सामने "निमताला" शब्द, अंक और अक्षर के लिए "निमतीता" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगें।

> [फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-18)] माया प्रकाश, निदेशक (पी एण्ड बी)

टिप्पण :—मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 873(अ), तारीख 4 मार्च, 2014 के तहत प्रकाशित की गई थी।

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

# CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th August, 2014

**S.O. 2067(E).**— In the table to the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 873(E), dated the 4th March, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide number 744, dated 21st March, 2014, against serial number 282, in column 3 for the word, figures and letters "Nimtala", the words, figures and letters "Nimtita" shall be substituted.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-18)]

# MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note :—The principal notification was published *vide* number S.O. 873(E), dated 4th March, 2014.